



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122025-268501
CG-DL-E-15122025-268501

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5567]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 2025/अग्रहायण 21, 1947

No. 5567]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 2025/AGRAHAYANA 21, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5755(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5414 तारीख 13/12/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के अलीपुरद्वार जिले में NH31D के कि.मी. 83.34 से कि.मी. 113.2 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरण / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 18/01/2025 को “थे टेलीग्राफ [इंग्लिश]” , 18/01/2025 को “आनंदा बजार पत्रिका” , 18/01/2025 को “थे टेलीग्राफ [इंग्लिश]” , 18/01/2025 को “आनंदाबाजार” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के अलीपुरद्वार जिले में NH31D के कि.मी. 83.34 से कि.मी.113.2 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल			जिले का नाम: अलीपुरद्वार		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: फालाकाटा					
गांव का नाम: बालासुन्दर					
1	३५८	निजी	सहरी	0.0283171	मंतोष बर्मन पुत्र कनाईलाल 358
2	४३८	निजी	हिमघर	0.0428803	सोमा साहा w/o नीलकमल साहा 438
3	४३९	निजी	हिमघर	0.0546926	सोमा साहा w/o नीलकमल साहा 439
4	४९६	निजी	हिमघर	0.0481391	सोमा साहा w/o नीलकमल साहा 496
5	५१५/२१२५	निजी	सहरी	0.0202265	जोगेन्द्र नाथ बर्मन पिता: गोविंद नाथ बर्मन 515/2125
6	८४४	निजी	दहाला	0.0242719	1.मदन बर्मन ऍस्/ओ खंडूरा बर्मन 2. पी.डबल्यू.डी. 844
7	८४६	निजी	दहाला	0.0256877	1.गोव्त. ओएफ वेस्ट बेंगल 2.सतीश अधिकार्य ऍस्/ओ उपेन अधिकार्य 3. माणिक बर्मन, ऍस्/ओ-हरेंद्र बर्मन 4.गणेश बर्मन, ऍस्/ओ-अकारू बर्मन 5. सुशांता बर्मन, ऍस्/ओ- मनमोहन बर्मन 846
Total				0.2442152	

[फा. सं. NHA Tech/Ph-III/DPR/LA/WB/2003/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2025

S.O. 5755(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **5414 Dated:13/12/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH31D in the stretch of land from Km. 83.34 to Km. 113.2 in the district of Alipurduar in the state of WEST BENGAL

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Telegraph” dated 18/01/2025, “Ananda Bazar Patrika” dated 18/01/2025, “The Telegraph” dated 18/01/2025, “Anandabazar” dated 18/01/2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH31D in the stretch of land from Km. 83.34 to Km. 113.2 in the district of Alipurduar in the state of WEST BENGAL

State: WEST BENGAL			District: Alipurduar		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Falakata					
Village: Balasundar					
1	358	Private	Sahari	0.0283171	Mantosh Barman s/o Kanailal 358
2	438	Private	Himghar	0.0428803	Soma Saha w/o Nilkamal Saha 438
3	439	Private	Himghar	0.0546926	Soma Saha w/o Nilkamal Saha 439
4	496	Private	Himghar	0.0481391	Soma Saha w/o Nilkamal Saha 496
5	515/2125	Private	Sahari	0.0202265	Jogendra nath Barman S/O Gobindo nath barman 515/2125

6	844	Private	Dahala	0.0242719	1.Madan Barman S/O Khandura Barman 2. P.W.D. 844
7	846	Private	Dahala	0.0256877	1.Govt. Of west Bengal 2.Satish Adhikary s/o Upen Adhikary 3. Manik Barman, S/O-Harendra Barman 4.Ganesh Barman, S/O-Akaru Barman 5. Sushanta Barman, S/O- Manmohan Barman 846
Total				0.2442152	

[F. No. NHAI Tech/Ph-III/DPR/LA/WB/2003/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director